उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांकः 797–ई/पालिसी/2018
दिनांकः .07..2018 **NCRPS No. 5252/2018**

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाईजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मषीन ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कषाप,झाँसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर,झाँसी, ट्रान्सपोर्टेषन,ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगजं,इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते समय अभिवादन के रूप में महामहिम शब्दों का प्रचलन समाप्त करना।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या **2009/Hindi(Vi)1/9/1** दिनांक **11.05.2018** की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

(V.P.Singh)
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक,उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई– एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए

RBL-2018-855
16-5-18
17-45

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं.2009/हिंदी(वि)1/9/1

नई दिल्ली, दिनांक 11 .05.2018

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते समय अभिवादन के रूप में 'महामहिम' शब्दों का प्रचलन समाप्त करना.

संदर्भ: गृह मंत्रालय का दिनांक 17 अप्रैल, 2018 का पत्र सं. 7/25/2012-एम एंड जी

उपर्युक्त विषय के संबंध में गृह मंत्रालय, सीएस प्रभाग, नई दिल्ली का संदर्भाधीन पत्र आवश्यक कार्रवाई तथा सूचनार्थ इस पत्र के साथ संलग्न है.

संलग्नक- यथोक्त

11.5.18
(सुधीर कुमार शर्मा)
उपनिदेशक राजभाषा
रेलवे बोर्ड

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
RB 16 MAY 2018

मुराधि
प्रतिलिपि - मंडल रेल प्रबन्धक/इला०, झांसी एवं आगरा
मुख्य कारखाना प्रबन्धक/झांसी एवं सिथौली
सभी प्रमुख/समन्वय विभागाध्यक्ष
16/05

प्र0 मुकाधि0
मुकाधि0 (प्रशा0)
मुकाधि0 (आई0 आर0)
उप मुकाधि0 (राज0)
उप मुकाधि0 (मुख्या0)
उप मुकाधि0 (आई0 आर0)
अध्यक्ष/रे0भ0प्र0
प्र0 का0 अधि0 (राज)
प्र0 का0 अधि0 (औ0स0)
प्र0का0 अधि0 (मुख्या0)
सकाधि0 (आई0आर0)
सकाधि0 (भर्ती0)
मु0 कार्या0 पदाधि/कार्या अधी0

18/05/18

COS/Dealing
Copy to circulate to all concerned

सं. 7/25/2012-एम एंड जी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(सीएस प्रभाग)

दूसरा तल, मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम,
इंडिया गेट, नई दिल्ली-110001
दिनांक 17 अप्रैल, 2018

विषय: भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते समय अभिवादन के रूप में "महामहिम" शब्दों का प्रचलन समाप्त करना।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 31 जनवरी, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से ऊपर उल्लिखित विषय पर तत्कालीन राष्ट्रपति का निर्णय सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों आदि के मुख्य सचिवों को कार्यान्वयन हेतु सूचित किया गया था। राष्ट्रपति सचिवालय ने इस संबंध में पुन:स्मरण करवाया है। यह आशा की जाती है/सलाह दी जाती है कि औपचारिक अवसरों के दौरान ' His Excellency' और उसके हिन्दी पर्याय 'महामहिम' शब्दों के उपयोग को समाप्त किया जाए तथा उनके स्थान पर "राष्ट्रपति महोदय" शब्दों का उपयोग किया जाए तथा हिन्दी में सरकारी टिप्पणियों में "राष्ट्रपति जी" का उपयोग किया जाए।

संलग्नक- यथोपरि

(डेनियल ई रिचर्ड्स)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
दूरभाष: 011-23075183

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सभी केन्द्रीय मंत्रियों के निजी सचिवों सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव।
3. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री कार्यालय।
7. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय।
8. रजिस्ट्रार, दिल्ली उच्च न्यायालय।
9. राज्य सभा सचिवालय/लोकसभा सचिवालय।
10. पब्लिक अनुभाग/प्रशासन-I/ प्रशासन-II/ प्रशासन-III अनुभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी/सभी अनुभाग/डेस्क।
12. अतिरिक्त प्रतियां-25